Regional Office (City)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.cityjaipur@gmail.com

E-mail

RPCB/ROJP(C)/NGT-OA-25-2025/516 Date: 02.08.2025

The Registrar,
Hon'ble NGT,
Central Zone Bench,
Bhopal.
E-mail: ngtczbbho-mp@gov.in,

Sub: - Report of Joint Committee Constituted in O.A. No. 25/2025 (CZ) in the matter of Rajendra Tiwari Vs Union of India & Ors.

Ref: - Hon'ble NGT order dated 06.03.2025.

Sir,

With reference to above subject matter, please find enclosed Report of Joint Committee Constituted in O.A. No. 25/2025 (CZ) in the matter of Rajendra Tiwari Vs Union of India & Ors., for kind perusal please.

Encl: - As above

Your Sincerely

(Vivek Goel)
Nodal Officer Cum
Regional Officer

Report of Joint Committee Constituted by Hon'ble NGT Central Zone Bench Bhopal, In the matter of Rajendra Tiwari V/s Union of India & Ors. OA No. 25/2025 (CZ)

1. **Applicant :-** Rajendra Tiwari

2. **Respondents:-** There are 14 Respondents

3. **Background:-**

The Applicant, Shri Rajendra Tiwari, filed the present Original Application before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, alleging encroachment, illegal construction of a commercial nature, and non-forest activities being carried out on reserved forest land situated in Khasra No. 252, Village Bassi Sitarampura, Jaipur. The petition seeks stoppage of illegal, non-forest activities & on-going construction activities and removal of **encroachment**, and demolition of illegal directives construction.

4. **Hon'ble NGT (Central Zone Bench) order dated 06.03.2025:**

The Hon'ble Tribunal, vide its order dated 06.03.2025, constituted a Joint Committee to ascertain the factual position and directed as follows:

"6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One Representative from the Addl. Chief Secretary, Forest and Wildlife, Govt. of Rajasthan (Rajasthan)

(ii) One Representative from the Principal Chief Conservator of Rajasthan, Govt. of Rajasthan (Rajasthan.)

(iii) One Representative from the Rajasthan State Pollution Control Board, (Rajasthan)

7. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

5. **Constitution of Joint Committee**:

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 06.03.2025, following individual have been nominated as a member of joint committee-

1. Sh. V. Ketan Kumar IFS, Deputy Conservator of Forests, Jaipur. (Representative from the Addl. Chief Secretary, Forest and Environment, Govt. of Rajasthan)
2. Sh. Vijaypal Singh, Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Zoo, Jaipur (Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Govt. of Rajasthan)
3. Sh. Vivek Goel, Regional Officer, RSPCB, Jaipur (City). (Representative of Rajasthan State Pollution Control Board)

6. **Joint Committee Site Visit Report:**

In the matter of Original Application No. 25/2025 (CZ) Rajendra Tiwari Vs Union of India & Ors., Hon'ble NGT has constituted a joint committee and directed to visit the site and submit the factual and action taken report vide order dated 06.03.2025. In compliance of aforesaid Hon'ble NGT order, the site inspection conducted on **01.08.2025** by the following joint committee members:

1. Sh. V. Ketan Kumar IFS, Deputy Conservator of Forests, Jaipur.
2. Sh. Vijaypal Singh, Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Zoo, Jaipur.
3. Sh. Vivek Goel, Regional Officer, RSPCB, Jaipur (City).

Observations of Joint Committee are as follows:

- **Location Details:** The site under consideration, Khasra No. 252 of Village Bassi Sitarampura is located near Pital Chauraha, Mukharjee Colony, Shastri Nagar Road, Bani Park, Jaipur
(Coordinates: 26.93336°N, 75.79767°E)

- **On-Site Findings:** Two buildings were found to be under construction.
    - **Building 1:** As per rough estimation plot size is about 25 ft × 50 ft, which is constructed basement, ground floor, first floor and second floor, while no roof is casted on third floor.

- **Building 2:** As per rough estimation plot size is about 40 ft × 50 ft, which is constructed basement, ground floor, first floor and second floor.

- **Adjacent landmarks:** An 80-feet wide road in front of site, and a cenotaph (chhatri), goshala (cow shelter), crematorium located behind the site.
- Photographs taken during the site visit are attached as Annex-I.

7. **RSPCB Observation** – No Consent Required under Water and Air (Prevention and Control of Pollution) Acts-

- Based on the physical inspection conducted during the joint site visit, the total built-up area of both buildings was found to be well below 2500 square meters. Therefore, in accordance with the prevailing categorization norms of the Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB), such constructions do not require prior Consent to Establish (CTE) or Consent to Operate (CTO) under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

8. **Action Taken by Forest Department –**

- A site survey of Khasra No. 252, forest land located in village Bassi Sitarampura, Tehsil Jaipur, was conducted by the Settlement Department, Jaipur team using a DGPS machine in the presence of a joint team from the Forest and Revenue Departments on 24th April 2025 and 25th April 2025.
- The Settlement Officer, Jaipur, vide its letter No. 2268 dated 05.05.2025, informed that due to the non-availability of the Momiya sheet of the said Khasra number from the Tehsildar, Jaipur, the superimposition work was carried out on the digital map certified by the Patwari.
- The superimposed map and report prepared by the technical team were to be approved, and a date for demarcation was to be fixed. For this purpose, a certified copy of the approved map was to be sent. Accordingly, the Settlement Officer, Jaipur, sent a letter to the Tehsildar, Jaipur, vide reference No. 14994558 dated 30.04.2025.
- In response, the Tehsildar, Jaipur, vide letter No. 1892 dated 30.04.2025, informed the Settlement Officer, Jaipur, that the received superimposed map does not match the DILRMP map. Under such circumstances, the map

cannot be approved, and the demarcation process for the concerned Khasra No. 252 cannot be carried out.

- In continuation of the above, Letters no. 15935476 dated 08-05-2025 and 11136717 dated 17-06-2025 have been sent by the Office of the Deputy Conservator of Forests, Jaipur, to the District Collector, Jaipur, requesting a re-survey and submission of the report. However, action on this matter is still awaited.
- Copies of all correspondence and survey reports are attached as Annex-II.

(V. Ketan Kumar, IFS)	(Vijaypal Singh)	(Vivek Goel)
Deputy Conservator of Forests, Jaipur	Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Zoo, Jaipur	Regional Officer R.O., RSPCB, Jaipur (S)

Annexure-I

Photographs taken during visit

Latitude: 26.933810
Longitude: 75.797895
Elevation: 457.63±4.00 m
Accuracy: 3.54 m
Time: 01-08-2025 15:52:48
Note: OA No. 25/2025
NoteCam @ iOS

Annexure-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001, दूरभाष नं. 0141–2363107 ईमेल–sojaipur.Settlement@rajasthan.gov.in

क्रमांक / फा / भूप्रअज / समु / सीमा / 28 / 2025 / दिनांकः–

कार्यालय आदेश

श्रीमान अति. कलक्टर–प्रथम, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, जयपुर के पत्रांक 2049 दिनांक 28.03.2025 के अनुशंषा के अनुसार ग्राम बरखीसीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 252 का डी.जी.पी.एस. से सीमाज्ञान में राजस्व एजेंसी को तकनीकी सहयोग देने हेतु इस कार्यालय के पटवारी श्री अनिल खांडल, पटवारी श्री अनुराग शर्मा व पटवारी श्रीमती निशा यादव को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 24.04.2025 को मय डी.जी.पी.एस. मौके पर उपस्थित होकर विभाग द्वारा सीमाज्ञान के सम्बन्ध में प्रसारित परिपत्र अनुसार सीमाज्ञान में राजस्व एजेंसी को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करें। सीमाज्ञान हेतु आवश्यक रिकॉर्ड / नक्शे व आलात आदि उपलब्ध करवाने एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने की व प्रभावित खातेदारों को सूचित करने की जिम्मेदारी तहसीलदार जयपुर की होगी। सीमाज्ञान रिपोर्ट का अनुमोदन सक्षम अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार से करवाने के पश्चात् सीमाज्ञान की कार्यवाही की जावें।

नोटः–1. डी.जी.पी.एस. मशीन को लाने व ले जाने हेतु वाहन उपलब्ध (प्रातः 09:30 बजे) करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। नियत दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर सीमाज्ञान में तकनीकी सहयोग दिया जाना संभव नहीं है। मौके पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. प्रभारी अधिकारी, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी (एस.एम.) प्रतिदिन सीमाज्ञान हेतु जाने वाली टीम की मॉनिटरिंग करेंगे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 2125 – 2134 दिनांकः 23/04/25

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अति. कलक्टर–प्रथम, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, जयपुर के पत्रांक 2049 दिनांक 28.03.2025 के क्रम में।
3. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी प्रथम, जयपुर।
5. श्रीमान उपवन संरक्षक जयपुर, ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर।
6. तहसीलदार (भू.अ.) जयपुर को पत्रांक 1172 दिनांक 18...
7. पटवारी श्री अनिल खांडल।
8. पटवारी श्री अनुराग शर्मा।
9. पटवारी श्रीमती निशा यादव।
10. उपस्थिति लिपिक, संस्थापन शाखा, हाजा कार्यालय।

Signature valid
Digitally signed by Priyanka Kumari
Designation: Assistant Settlement Officer
Date: 2025.04.23 15:46:23 IST
Reason: Approved

भू–प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर

File No.: 14881779

10

दिनांक :- 25/04/25

मौका फर्द

ग्राम : बस्सी सीतारामपुरा, तह० - जयपुर

श्रीमान् अति. कलेक्टर - प्रथम, प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर के पत्रांक 2049 दिनांक 28/03/2025 की अनुशंसा एवं श्रीमान् भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेशक्रमांक 2125-2134 दिनांक 23/04/2025 की अनुपालना मे ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 252 का DGPS से सीमाज्ञान मे राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग देने हेतु दिनांक 24/04/25 को मौके पर पहुंचे।

मौके पर आवेदक वन विभाग के प्रतिनिधि एवं राजस्व एजेन्सी के प्रतिनिधि मय राजस्व रिकॉर्ड मौके पर उपस्थित मिले। संयुक्त टीम (भू-प्रबंध + राजस्व) द्वारा उक्त खसरा नम्बरान व आसपास के लगते हुये खसरा नम्बरान का दिनांक 24/04/25 से 25/04/25 तक मौका सर्वेक्षण कार्य किया गया।

उक्त रिपोर्ट उपस्थित लोगो को पढ़ा, सुना व समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा मे सादर प्रस्तुत है।

भू प्रबन्ध टीम

Anil
पटवारी
25.04.25

अनुराग
पटवारी
25.04.25

Nisha Yadav
पटवारी
25/04/25

राजस्व टीम

(नि० ग० ह०)सीतारामपुरा
25-04-2025

ILR बस्सी सीतारामपुरा

आवेदक व अन्य

R.O.

वनपाल 12

वनरक्षक
कार्यालय जयपुर

सत्य प्रतिलिपि जारी।
(नि० ग० ह०) सीतारामपुरा
25-04-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबंध अधिकारी,जयपुर

विगान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001, दूरभाष नं. 0141–2363107 ईमेल–sojaipur.settlement@rajasthan.gov.in

क्रमांक / फा / भूप्रअज / एस.एम. / सीमा / 28 / 2025 / 2268 दिनांकः– 5/5/25

श्रीमान अति0 कलक्टर–प्रथम,
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलैक्ट्रेट, जयपुर

विषयः–ग्राम बस्सीसीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 252 का सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग से करवाने बाबत।
प्रसंगः–आपका पत्रांक 2049 दिनांक 28.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र ग्राम बस्सीसीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 252 का सीमाज्ञान विभाग से करवाये जाने हेतु प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रासंगिक पत्र के संलग्न दस्तावेजो मे मोमिया शीट संलग्न प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को मोमिया शीट उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार जयपुर द्वारा चैकलिस्ट में उक्त खसरा नं. की मोमिया शीट उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया है।

प्रकरण में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24 व 25.04.2025 को मौका सर्वेक्षण कार्य किया गया था जिसका सुपरइम्पोज कार्य तकनीकी टीम द्वारा मोमिया शीट नहीं होने के कारण पटवारी द्वारा प्रमाणित डिजीटल नक्शा शीट पर किया गया। तकनीकी टीम द्वारा तैयार किये गये सुपरइम्पोज नक्शा व रिपोर्ट को अनुमोदित कर चिन्हीकरण की तिथि निर्धारित कर अनुमोदित नक्शें की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पत्रांक राजकाज रेफ न0 14994558 दिनांक 30.04.2025 द्वारा तहसीलदार जयपुर का पत्र भेजा गया। इस कम में तहसीलदार के पत्रांक 1892 दिनांक 30.04.2025 द्वारा "प्राप्त सुपरइम्पोज नक्शें का DILRMP नक्शें से मिलान करवाये जाने पर भिन्नता होने के कारण नक्शें का अनुमोदन किया जाना संभव नहीं होना बताया है"। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत खसरा 252 के चिन्हीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

भवदीया
भू–प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 2269 दिनांकः– 5/5/25

प्रतिलिपिः– श्रीमान उपवन संरक्षक जयपुर ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Mukta Rao
Designation: Settlement Officer
Date: 2025.05.05 17:40:37 IST
Reason: Approved

O/C

RajKaj Ref No.: 15077365

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर

कमांक : एफ.15(2)(2)सर्वे / उवसंज / 2023–24 / दिनांक :

निमित्त :–

जिला कलक्टर,
जयपुर ।

विषयः–ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं. 252 का सीमा ज्ञान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के पत्रांक 2268 दिनांक 05.05.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के हाल खसरा नं. 252 की वन भूमि का मौका संर्वेक्षण भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजुदगी में दिनांक 24 एवं 25.04.2025 को डी.जी.पी.एस. मशीन द्वारा किया गया है। सन्दर्भित पत्र द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने अवगत कराया है कि "तहसीलदार जयपुर ने उक्त खसरा नं. की मोमिया शीट उपलब्ध नहीं करवाने के कारण पटवारी द्वारा प्रमाणित डीजिटल नक्शा पर सुपर ईम्पोज कार्य किया गया है। तकनिकी टीम द्वारा तैयार किये गये सुपर ईम्पोज नक्शा व रिपोर्ट को अनुमोदित कर चिन्हीकरण की तिथि निर्धारित कर अनुमोदित नक्शें की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने अपने राजकाज रेफरेन्स नं. 14994558 दिनांक 30.04.2025 द्वारा तहसीलदार जयपुर को पत्र लिखा गया था। जिसके कम में तहसीलदार जयपुर ने अपने पत्रांक 1892 दिनांक 30.04.2025 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अवगत करवाया है कि प्राप्त सुपर इम्पोज नक्शे का DILRMP नक्शे से मिलान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नक्शे का अनुमोदन एवं प्रश्नगत खसरा नं. 252 के चिन्हीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है"

चूंकि उक्त प्रकरण (इंद्रनील मुखर्जी उर्फ लेल मुखर्जी पुत्र श्री आलोक मुखर्जी व सौरभ मुखर्जी पुत्र श्री हिसार मुखर्जी, निवासी पीतल फैक्ट्री चौराहा शास्त्री नगर जयपुर द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र वन खण्ड आमेर–54 के खसरा नं. 252 ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर पीतल फैक्ट्री, चौराहे के पास शास्त्री नगर जयपुर में लगभग 6,378 वर्ग मीटर वन भूमि पर बिना वन विभाग की अनुमति के अवैध अतिकमण करने एवं व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यवसायिक प्रवृति का नवनिर्माण करने एवं ग्राउण्ड वाटर अथोरेटी भारत सरकार की अनुमति के बिना व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल / रिसोर्ट का नवनिर्माण विधि विरूद्ध करने एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन एवं विधि विरूद्ध वन भूमि का समतलीकरण करने एवं अवैध पेड़ो का कटान करने बाबत्) आई.ए. नं. 33, 13
(ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 25 / 2025) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोन भोपाल में विचाराधीन है।

अतः श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि परिवाद में वर्णित भूमि वन भूमि है अथवा नहीं की रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करवाने का कष्ट करावें। जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(वी.केतन कुमार)IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर
दिनांक :

कमांक : एफ.15(2)(2)सर्वे / उवसंज / 2023–24 /

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1º आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
2º भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर।
3º तहसीलदार जयपुर।
4º क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर ।

Signature valid
Digitally signed by V[...]th Ketan Kumar
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2025.05.08 [...]:01:58 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ.15(2)(2)सर्वे/उवसंज/2023–24/ दिनांक :

निमित्त :–

जिला कलक्टर,
जयपुर ।

विषयः–ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं. 252 के सीमा ज्ञान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 15136717 दिनांक 08.05.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के हाल खसरा नं. 252 की वन भूमि का मौका सर्वेक्षण भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजुदगी में दिनांक 24 एवं 25.04.2025 को डी.जी.पी.एस. मशीन द्वारा किया गया है। भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने अपने पत्रांक 2268 दिनांक 05.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि "तहसीलदार जयपुर ने उक्त खसरा नं. की मोमिया शीट उपलब्ध नहीं करवाने के कारण पटवारी द्वारा प्रमाणित डीजिटल नक्शा पर सुपर ईम्पोज कार्य किया गया है। तकनिकी टीम द्वारा तैयार किये गये सुपर ईम्पोज नक्शा व रिपोर्ट को अनुमोदित कर चिन्हीकरण की तिथि निर्धारित कर अनुमोदित नक्शें की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने अपने राजकाज रेफरेन्स नं. 14994558 दिनांक 30.04.2025 द्वारा तहसीलदार जयपुर को पत्र लिखा गया था। जिसके क्रम में तहसीलदार जयपुर ने अपने पत्रांक 1892 दिनांक 30.04.2025 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अवगत करवाया है कि प्राप्त सुपर इम्पोज नक्शे का DILRMP नक्शे से मिलान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नक्शे का अनुमोदन एवं प्रश्नगत खसरा नं. 252 के चिन्हीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है"

उक्त प्रकरण (इंद्रनील मुखर्जी उर्फ लेल मुखर्जी पुत्र श्री आलोक मुखर्जी व सौरभ मुखर्जी पुत्र श्री हिसार मुखर्जी, द्वारा ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर पीतल फैक्ट्री, चौराहे के पास शास्त्री नगर जयपुर में खसरा नं. 252 में लगभग 6,378 वर्ग मीटर वन भूमि पर बिना वन विभाग की अनुमति के अवैध अतिक्रमण करने बाबत्) आई.ए. नं. 33/2025 (ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 25/2025) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोन भोपाल में विचाराधीन है।

अतः श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि परिवाद में वर्णित भूमि वन भूमि है अथवा नहीं की रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करवाने का कष्ट करावें। जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(वी.केतन कुमार)IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक : एफ.15(2)(2)सर्वे/उवसंज/2023–24/ दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर।
3. तहसीलदार जयपुर।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर ।

Signature valid

उप वन संरक्षक

Digitally signed by Vaikkath Ketan Kumar
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2025.06.17 15:45:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15935467